

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक: प01(3)गृह-7 / 2018

जयपुर, दिनांक 10.09.2018

आज्ञा

राजस्थान नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा सेवा नियम 1976 के नियम 23(9) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर समादेष्टा के पदों पर वर्ष 2018-19 की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित उप समादेष्टाओं को वरिष्ठ-सह-योग्यता के आधार पर समादेष्टा के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पद रिक्ती तिथि
1.	श्री नवनीत जोशी	सामान्य	01.04.2018
2.	श्रीमती स्वाति शर्मा	सामान्य	01.04.2018
3.	श्री प्रणय जसोरिया	सामान्य	01.04.2018
4.	श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़	सामान्य	01.04.2018
5.	श्री अनवर एच. खान	सामान्य	01.04.2018
6.	श्री महेन्द्र सिंह	अनु. जाति	01.04.2018

पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करेंगे। इन्हें पदोन्नत पद पर वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

आज्ञा से,

-६०-

(सूवे सिंह यादव)
शासन विशिष्ट सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग
7. निजी सचिव, महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित अधिकारीगण मार्फत गृहरक्षा, राजस्थान जयपुर।
9. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन विशिष्ट सचिव
गृह (आपदा प्रबंधन)